NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

भारत में पुलिस सुधार: दबाव की संस्कृति से अधिकार-आधारित ढांचे तक

भारत में पुलिस सुधार: दबाव की संस्कृति से अधिकार-आधारित ढांचे तक

संदर्भ

- वर्तमान समय में भारत में पुलिस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया जाए, जहां भय, दबाव और त्वरित न्याय के भ्रम की जगह मानवीय गरिमा एवं व्यावसायिकता ले ले।

भारत में पुलिस व्यवस्था को पुनःस्थापित करने की आवश्यकता क्यों है?

- **औपनिवेशिक नियंत्रण की विरासत:** भारत की पुलिस व्यवस्था अभी भी 1861 के पुलिस अधिनियम द्वारा शासित है, जिसे अंग्रेजों ने असहमति को दबाने और साम्राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए बनाया था।
  - स्वतंत्रता पश्चात्, यह संरचना अत्यंत सीमा तक अपरिवर्तित रही, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसी पुलिस बल का निर्माण हुआ जो प्रायः अभिजात्य, राजनीतिक और गैर-जवाबदेह है।
- **हिरासत में हिंसा:** 2018-2023 के बीच 687 से अधिक हिरासत में मृत्युएँ(लगभग 2-3 मृत्युएँ प्रति सप्ताह) दर्ज की गईं (2023 के लोकसभा उत्तर के अनुसार)।
  - **शीर्ष राज्य:** गुजरात (81), महाराष्ट्र (80), तमिलनाडु (36)।
  - यातना प्रायः सीसीटीवी निगरानी से दूर, वैन या परित्यक्त इमारतों में, रिकॉर्ड से बाहर होती है।
  - हिरासत में हिंसा का दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, प्रवासियों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों, दलितों और आदिवासियों पर असमान रूप से प्रभाव पड़ता है।
- **पूर्वाग्रह और भेदभाव:** भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट 2025 में पुलिसकर्मियों में व्यापक जातिगत और धार्मिक पूर्वाग्रह पाया गया।
  - कई अधिकारियों का मानना है कि कुछ समुदाय अपराध के लिए 'स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त' होते हैं, जिससे प्रोफ़ाइलिंग और दुर्व्यवहार को वैधता मिलती है।
- **जवाबदेही का अभाव:** अनुशासनात्मक कार्रवाई दुर्लभ है, और पुलिस कदाचार के लिए आपराधिक दोषसिद्धि और भी दुर्लभ है।
  - निगरानी तंत्र कमज़ोर हैं या अनुपस्थित हैं, और हिरासत में हिंसा के प्रति सामाजिक सहिष्णुता दंड से मुक्ति को सामान्य बनाती है।

सुधार के लिए वैज्ञानिक और विधिक मामला

- **विधिक सुरक्षा उपायों की उपेक्षा:** डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1996) और के.एस. पुट्टस्वामी (2017) जैसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय यातना के विरुद्ध अधिकारों, हिरासत प्रोटोकॉल एवं शारीरिक स्वायत्तता को बनाए रखने की पुष्टि करते हैं।
  - विधि आयोग की 273वीं रिपोर्ट (2017) ने एक स्वतंत्र यातना-विरोधी विधि की सिफारिश की थी, लेकिन भारतीय संसद ने इसे लागू नहीं किया है।
  - भारत ने यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है।
  - 2025 में, वैश्विक यातना सूचकांक में भारत को 'उच्च जोखिम' वाले देश का दर्जा दिया गया था - जो एक निंदनीय अभियोग है।

- **वैज्ञानिक प्रमाण:** तंत्रिका विज्ञान दर्शाता है कि यातना स्मृति और संज्ञान को क्षीण करती है, जिससे स्वीकारोक्ति अविश्वसनीय हो जाती है।
  - वास्तविक विश्व के उदाहरण - अल्जीरियाई युद्ध से लेकर सीआईए के गुप्त स्थानों तक - सिद्ध करते हैं कि यातना से झूठी या अनुपयोगी जानकारी प्राप्त होती है।

भारत में पुलिस व्यवस्था के लिए प्रस्तावित हालिया विधिक सुधार

- **औपनिवेशिक काल के विधियों में सुधार:** औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए बनाया गया 1861 का पुलिस अधिनियम वर्तमान में भी भारत में पुलिस व्यवस्था का आधार है।
  - सुधारों का उद्देश्य इसे एक आदर्श पुलिस अधिनियम से बदलना है जो इस पर बल देता है:
    - नागरिकों के प्रति जवाबदेही;
    - समुदाय-उन्मुख पुलिस व्यवस्था;
    - विधि प्रवर्तन को राजनीतिक प्रभाव से अलग करना
- **सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह निर्देश (2006): इनमें शामिल हैं:**
  - पुलिस को राजनीतिक दबाव से बचाने के लिए राज्य सुरक्षा आयोग;
  - मनमाने तबादलों को रोकने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का निश्चित कार्यकाल;
  - कानून-व्यवस्था संबंधी कर्तव्यों से जाँच का पृथक्करण;
  - पारदर्शी पदस्थापना और पदोन्नति के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड;
  - कदाचार से निपटने के लिए स्वतंत्र शिकायत प्राधिकरण
- **समिति की सिफ़ारिशें:**
  - **राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-81):** व्यावसायिकता, नागरिक जवाबदेही, निश्चित कार्यकाल;
  - **रिबेरो समिति (1998):** स्वतंत्र निगरानी, आधुनिक प्रशिक्षण;
  - **पद्मनाभैया समिति (2000):** सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, विकेंद्रीकरण;
  - **मलिमथ समिति (2002-03):** फोरेंसिक उन्नयन, संघीय अपराध एजेंसी;
  - **विधि आयोग (273वीं रिपोर्ट, 2017):** यातना-विरोधी विधि, बेहतर हिरासत सुरक्षा उपाय;
- **आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी:** स्मार्ट (संवेदनशील, आधुनिक, जवाबदेह, विश्वसनीय, तकनीक-सक्षम) पुलिस व्यवस्था को बढ़ावा। इसमें निम्नलिखित पर बल दिया गया है:
  - डिजिटल केस प्रबंधन;
  - हिरासत क्षेत्रों में बॉडी कैमरा और सीसीटीवी;
  - फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ और साइबर अपराध इकाइयाँ;

केस स्टडीज़: वास्तव में क्या कार्य करता है?

- गैर-बलपूर्वक तरीके निरंतर अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं:
  - **यूके का PEACE मॉडल:** 1970 के दशक में गलत दोषसिद्धि के बाद, यूके ने तैयारी, खुले प्रश्नों और आपसी सामंजस्य पर आधारित पूछताछ ढाँचा अपनाया।
    - इससे झूठे इकबालिया बयान कम हुए और जनता का विश्वास पुनर्स्थापित हुआ।

- **उच्च-मूल्य वाले बंदी पूछताछ समूह (HIG):** अमेरिकी शोध से पता चलता है कि विश्वसनीय जानकारी जुटाने में, आपसी तालमेल पर आधारित तरीके यातना से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

आगे की राह

- भारत को दबावपूर्ण, भय-आधारित मॉडल से हटकर व्यावसायिकता, गरिमा और वैधता पर आधारित मॉडल अपनाने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है:
  - औपनिवेशिक काल के पुलिस अधिनियम को एक आदर्श पुलिस विधि से बदलना;
  - 90% कांस्टेबल पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण में निवेश करना;
  - प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का क्रियान्वयन;
  - स्वतंत्र शिकायत प्राधिकरण बनाना;
  - फोरेंसिक, डिजिटल उपकरणों और नैतिक प्रशिक्षण में निवेश करना;
  - यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का अनुमोदन करना;
  - पुलिस प्रशिक्षण में PEACE मॉडल को शामिल करना;
  - हिरासत में दुर्व्यवहार के प्रति शून्य सहिष्णुता की संस्कृति को बढ़ावा देना
- न्याय को गरिमा, व्यावसायिकता और वैधता पर आधारित होना चाहिए—न कि भय और बलपूर्वकपर।

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भय, दबाव और त्वरित न्याय के भ्रम में निहित प्रचलित प्रथाओं के संदर्भ में भारत में पुलिस सुधार की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए। संरचनात्मक, कानूनी और सांस्कृतिक परिवर्तन पुलिस व्यवस्था को एक अधिक लोकतांत्रिक एवं अधिकार-आधारित संस्था में बदलने में कैसे सहायता कर सकते हैं?

■■■■